हमारी बात

महाभारत काल में दुष्ट दुश्शासन ने हस्तिनापुर राज दरबार में महारानी द्रौपदी के कपड़े उतारने का असफल प्रयास कर भारतीय इतिहास में एक बहुत शर्मनाक प्रसंग जोड़ दिया। हजारों साल बाद भी इसकी याद ताजा होते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दुश्शासन को उस अपमानजनक व्यवहार की कीमत अपने खून से चुकानी पड़ी। याद रहे, इस दुर्घटना की जड़ में एक राज परिवार के सदस्यों का आपसी संघर्ष था। यह तब हुई जब द्रौपदी के पांचों पति घटनास्थल पर मौजूद थे और वे द्रौपदी को जुए के दांव में हार चुके थे। द्रौपदी विरोधियों की 'दासी' बन चुकी थी।

उस ऐतिहासिक घटना से अधिक दर्दनाक और बर्बर घटना इस साल 26 मई को सहारनपुर (उ.प्र.) की एक सड़क पर हुई। दिनदहाड़े नवागांव के एक गूजर परिवार के पुरुषों ने उसी गांव के बढ़ई रामकिशन धीमन की पत्नी ऊषा को तार-तार उसके कपड़े उतार कर बीच बाजार में घसीटा। उनका कसूर यह था कि वे अपने घर का कुछ हिस्सा गूजर परिवार के पशु और ट्रैक्टर बांधने के लिए देने को राजी नहीं हुए।

अपराध हर काल में होते रहे हैं और होते रहेंगे, पर इस अपराध की कठोरता इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि क्रूर अत्याचार एक निरीह और बेबस अकेली स्त्री पर (उसका पति पहले ही जेल में ठूस दिया गया था) सैंकड़ों नर-नारियों की आंखों के सामने किया गया। किसी ने विरोध में उंगली तक नहीं उठाई। नागरिकों के जान-माल की रखवाल पुलिस भी चुप रही।

जनता और पुलिस के इस व्यवहार पर मन को दहला देने वाला सवाल उठता है कि क्या जुल्मी और धींग व्यक्ति को जब चाहे किसी कमजोर की इज्जत पर डाका डालने का कानूनी हक मिल गया है? एक सप्ताह बाद जुल्मियों को पकड़ा गया, पर मजिस्ट्रेट ने उसी दिन उन्हें ज़मानत पर रिहा कर दिया।

अपराधियों ने बढ़ई परिवार पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया था। गांव पंचायत ने तहकीकात में बढ़ई परिवार के घर की खाना-तलाशी ली और उसके घर का फर्श तक खोद डाला। तीन दिन बाद पंचायत ने उसे निर्दोष करार दिया। पर गूजर का लोभ और ज़ोम कम न हुआ। जब ऊषा अपने मुकदमे की पैरवी के लिए सहारनपुर गई तो उसे बिल्कुल नंगा कर पीटा और घसीटा गया। यदि मान भी लें कि बढ़ई परिवार ने चोरी की थी तो क्या अदालतें खत्म हो गईं और शिकायत करने वाले को ही सजा देने का अधिकार मिल गया। किस कानून के आधीन मामूली चोरी के लिए इतनी भयानक सजा दी जा सकती है?

दुर्घटना के बाद ऊषा धीमन के बारे में अखबारों के पन्ने रंगे जा रहे हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती जयंती पटनायक ने स्वयं मौके पर जाकर जांच-पड़ताल की और उसके बाद दिल्ली में

ऊषा और उसके पति के बयान लिए। लगने लगा है कि गूजर परिवार को बख्शा नहीं जाएगा। पर रह रहकर यह बात मन को कचोटे जाती है कि यदि घटना स्थल पर दो व्यक्ति भी जुल्मियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शित करते तो शायद जो अत्याचार हुआ वह नहीं हो पाता।

पहले सड़क चलते व्यक्ति मारपीट करते पक्षों का बीचबचाव कर दिया करते थे। पर अब इतने भयंकर अपराध को घटते देख भी किनारा काटते चले गए। इस गिरावट का मुख्य कारण पुलिस और अदालत की निष्पक्षता में अविश्वास है। भरोसा नहीं कि पुलिस जागरूक नागरिक को ही किसी जाल में न फांस दे और उसे लेने के देने पड़ जाएं। पुलिस का कहना है कि उस पर राजनीतिक नेता नाजायज दबाव डाल कर इंसाफ के रास्ते पर चलने नहीं देते। अदालती कार्यवाही को धनी व्यक्ति झुकाकर अपने पक्ष में कर लेता है। किसी ऐसी दुरूह स्थिति में कौन किसकी मुसीबत में हाथ डाले? देखा गया है कि मित्र व पड़ोसी भी समय पर मुंह चुरा जाते हैं।

आशा की किरण ऊषा धीमन जैसी स्त्रियां दिखा रही हैं जो अत्याचार के सामने हार नहीं मानतीं और हिम्मत से उसका मुकाबला करती हैं। नवागांव के कुछ लोग भी अब उसका साथ देने लगे हैं। अदालत में पेशी के दिन गांववाले ट्रैक्टर-ट्राली में भरकर ऊषा के साथ जाते हैं।

कुछ समय पहले एक केंद्रीय मंत्री के खिलाफ एक सामाजिक कार्यकर्त्री मुक्ति दत्ता ने यह आरोप लगाने की हिम्मत दिखाई कि मंत्री ने अपने कार्यालय के निजी कमरे में उस पर बलात्कार करने की कुचेष्टा की थी। मंत्री के खिलाफ कोई कार्यवाही की आशा करना चट्टान से पानी निकालने जैसा था। पर उस साहसी स्त्री ने हिम्मत नहीं हारी और अदालत में हर पेशी को भुगतातीं रही। आखिर में मंत्री जी ने अपने सफेद बालों की दुहाई देकर माफी मांगी और मामला रफादफा हुआ।

एक महीना भी नहीं हुआ जब उड़ीसा के एक मंत्री के खिलाफ एक महिला सरपंच ने शिकायत की कि मंत्री ने उसकी इज्जत से खेलने की बेजा हरकत की थी। उस शिकायत पर एक बार तो मंत्री जी का पारा आसमान को छू गया पर जांच जारी है और उन्हें दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग के सामने पेश होकर अपनी सफाई में बयान देने को मजबूर होना पड़ा है।

इन मिसालों से यही बात उभरती है कि पीड़ित औरतें हिम्मत न हारें। क्षेत्रीय महिला संगठन और सरकारी मशीनरी का सहारा लेकर अपनी आवाज बुलंद करती रहें। अखबार के कॉलमों में चर्चा हो जाने पर पुलिस ऐसे मामलों को दबाने में कामयाब नहीं हो पाएगी। इसलिए स्त्री-अपराधों की पीड़ित बहनें पूरी हिम्मत जुटा कर इंसाफ का दरवाजा खटखटाती रहें। उनकी कोशिशों का शुभ नतीजा ही निकलेगा।

ज्ञानेंद्र प्रसाद जैन